भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-430
बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगारों हेतु बेरोज़गारी भत्ता

430# श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महिला/पुरूष-वार और ग्रामीण/शहरी क्षेत्र-वार सहित बेरोज़गारी की दर क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार बेरोज़गारों को अलग से बेरोज़गारों को अलग से बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): रोजगार-बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। पीएलएफएस 2018-19 के अनुसार, ऐसे सर्वेक्षण के आधार पर देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

बेरजगारी दर			
ग्रामीण		शहरी	
पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
5.6%	3.5%	7.1%	9.9%

(ख एवं ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत गरीबों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति के क्रय करने और मूलभूत जरुरतों को पूर्ण करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसमें अनाज, निःशुल्क गैस सिलेन्डर प्रदान करना, लाभार्थियों के खातों में सीधे ही अनुग्रहपूर्वक अनुदान भुगतान, कुछ प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों हेतु ईपीएफ अंशदान भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, एमजीएनआरईजीए के तहत वेतन को 182 रु. प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रु. किया गया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत विशेषकर लौटने वाले प्रवासियों को स्थानीय रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड़ अभियान में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गारंटी मुक्त कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है।

*****